भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 550

जिसका उत्तर 03 दिसंबर, 2025 को दिया जाना है ।

12 अग्रहायण, 1947 (शक)

डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण के लिए नियम

550. श्री बलवंत बसवंत वानखडे:
श्री एंटो एन्टोनी:
श्री के. सुधाकरन:
डॉ. शर्मिला सरकार:
श्री बैन्नी बेहनन:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण (डीपीडीपी) अधिनियम के लिए नियम नहीं बनाए गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो डीपीडीपी अधिनियम, 2023 के अंतर्गत प्रारूप नियमों की वर्तमान स्थिति क्या है और डीपीडीपी नियमों को अधिसूचित करने में देरी के क्या कारण हैं;

(ग) क्या डीपीडीपी 2023 में पारित हुआ था और 2025 तक केवल प्रारूप नियम ही तैयार किए गए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा डीपीडीपी नियमों को अंतिम रूप देने और सार्वजनिक कार्यान्वयन के लिए जारी करने हेतु प्रस्तावित समय-सीमा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा डीपीडीपी नियमों को अंतर्राष्ट्रीय डेटा संरक्षण मानकों, जैसे सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन के अनुरूप बनाना सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(च) डीपीडीपी नियमों के प्रारूपण के दौरान परामर्श किए गए हितधारकों, विशेषज्ञ या संगठनों का ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या इस संबंध में कोई सार्वजनिक परामर्श आयोजित किया गया था; और

(ज) डीपीडीपी बोर्ड की स्थापना के बाद से अब तक इसके बजट आवंटन और उपयोग का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से **(ज):** डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम, 2025 ("नियम") को 13 नवंबर 2025 को अधिसूचित किया गया था।

सरकार ने अधिनियम और नियमों का मसौदा तैयार करते समय वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों का अध्ययन किया। इस दृष्टिकोण ने व्यक्तिगत डेटा प्रसंस्करण में पारदर्शिता, पर्याप्त सुरक्षा प्रतिउपायों और डेटा प्रिंसिपल के अधिकारों पर प्रावधानों को निर्देशित किया, और अंततः अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ स्थिरता सुनिश्चित की।

नियमों को तैयार करने के दौरान, सरकार ने माईगव पोर्टल पर मसौदा नियमों को प्रकाशित करके और देश भर के नौ शहरों में सार्वजनिक परामर्श करके जनता की प्रतिक्रिया मांगी।

इन परामर्शों में स्टार्टअप, एमएसएमई, उद्योग संघों, नागरिक समाज समूहों और विभिन्न सरकारी विभागों सहित हितधारकों के विविध समूहों की भागीदारी देखी गई, जिनमें से सभी ने विस्तृत सिफारिशें प्रस्तुत कीं।

इसके अलावा, माईगव पोर्टल के माध्यम से व्यक्तियों और संगठनों से 6,915 टिप्पणियां प्राप्त हुईं।

13 नवंबर 2025 को नियमों की अधिसूचना के बाद, नियमों के अनुसार डीपीबी की स्थापना के लिए कदम उठाए गए हैं।

*****